



दिनांक 08.09.2024

प्रेस विज्ञप्ति 09 / 2024

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## जनपद खीरी/थाना भीरा

- 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 04 हजार 408 रुपये नगद
- लूट/चोरी के 04 मोबाइल फोन
- चोरी की 01 मोटर साइकिल
- 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 08.09.2024 को थाना भीरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भीरा नहर पुलिया के पास से 04 अभियुक्तों 1—अभिषेक 2—अभिनन्दन 3—छत्रपाल 4—विकास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 04 हजार 408 रुपये नगद, लूट/चोरी के 04 मोबाइल फोन, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अभिनन्दन के विरुद्ध जनपद खीरी के विभिन्न थानों में लूट, चोरी, आर्स एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त विकास के विरुद्ध जनपद खीरी के विभिन्न थानों में चोरी, आर्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना भीरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—अभिषेक निवासी ग्राम भैठिया थाना गोला जनपद खीरी।
- 2—अभिनन्दन निवासी ग्राम भैठिया थाना गोला जनपद खीरी।
- 3—छत्रपाल निवासी ग्राम पड़रिया तिलकापुर थाना गोला जनपद खीरी।

4—विकास निवासी ग्राम भैठिया थाना गोला जनपद खीरी।

### बरामदगी

1—चोरी के 04 हजार 408 रुपये नगद।

2—लूट/चोरी के 04 मोबाइल फोन।

3—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4—01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

### जनपद ललितपुर/थाना तालबेहट

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट/चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, नगद रुपये
- 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 08.09.2024 को थाना तालबेहट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पवा जैन मन्दिर तिराहा के पास से 03 अभियुक्तों 1—अजय 2—बृजेन्द्र 3—नीलेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, नगद रुपये, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना तालबेहट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजय निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कस्बा व थाना दतिया मध्यप्रदेश, मूलपता ग्राम फुलरा थाना चिरूला दतिया मध्यप्रदेश।

2—बृजेन्द्र निवासी छिल्ला थाना पवनौरा जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश।

3—नीलेश निवासी ग्राम नैगुवा थाना साहगढ़ जनपद सागर मध्यप्रदेश।

### बरामदगी

1—लूट/चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, नगद रुपये।

2—01 मोटर साइकिल आदि।

~ 3 ~  
जनपद मज / थाना दोहरीघाट

- 06 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 06 मोटर साइकिल
- 03 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक 08.09.2024 को थाना दोहरीघाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोरौली गेट के पास चेकिंग के दौरान 06 अभियुक्तों 1—विकास 2—करन 3—भोरिक 4—संतोष 5—जितेन्द्र 6—हरिओम उर्फ नाटे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी की 06 मोटर साइकिल, 03 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त जितेन्द्र के विरुद्ध जनपद गोरखपुर के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आम्स एक्ट आदि के 06 अभियोग एवं अभियुक्त हरिओम उर्फ नाटे के विरुद्ध जनपद गोरखपुर, संतकबीरनगर के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, आम्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना दोहरीघाट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—विकास निवासी भगवानपुर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।
- 2—करन निवासी कोईलीखार थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
- 3—भोरिक निवासी टमठा थाना झगहा जनपद गोरखपुर।
- 4—संतोष निवासी लक्ष्मीपुर प्रथम थाना कैम्पियररगंज जनपद गोरखपुर।
- 5—जितेन्द्र निवासी बौठा थाना झगहा जनपद गोरखपुर।
- 6—हरिओम उर्फ नाटे निवासी बौठा थाना झगहा जनपद गोरखपुर।

### बरामदगी

- 1—चोरी की 06 मोटर साइकिल।
- 2—03 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस आदि।

## जनपद मुजफ्फरनगर / थाना शाहपुर

### • 01 अभियुक्त गिरफ्तार

• धोखाधड़ी के 55 हजार रुपये नगद

• 40 एटीएम कार्ड (विभिन्न बैंक के)

• 01 मोबाइल फोन

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस

• 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 08.09.2024 को थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कसेरवा नहर पुलिया के पास से अभियुक्त जमशेद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से धोखाधड़ी के 55 हजार रुपये नगद, 40 एटीएम कार्ड (विभिन्न बैंक के), 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सीधे—सादे लोगो को मदद के बहाने धोखाधड़ी से एटीएम कार्ड को बदल कर पैसे निकाल लेते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शाहपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1—जमशेद निवासी बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली।

### बरामदगी

1—धोखाधड़ी के 55 हजार रुपये नगद।

2—40 एटीएम कार्ड (विभिन्न बैंक के)।

3—01 मोबाइल फोन।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

5—01 मोटर साइकिल।

~ 5 ~

जनपद मुरादाबाद / थाना सिविल लाइन

- 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- 40 किलोग्राम अवैध गांजा
- 01 कार बरामद

दिनांक 08.09.2024 को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ओवर ब्रिज के पास से 04 अभियुक्तों 1—कपिल कुमार 2—विकास कुमार 3—गजेन्द्र 4—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 40 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—कपिल कुमार निवासी चंचलपुर थाना श्योहारा जनपद बिजनौर।
- 2—विकास कुमार निवासी ग्राम सरकड़ा चतराजमल थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
- 3—गजेन्द्र निवासी ग्राम भवानीपुर थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद, हालपता ग्राम पैगा थाना आरटीआई काशीपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।
- 4—अभियुक्ता।

### बरामदगी

- 1—40 किलोग्राम अवैध गांजा।
- 2—01 कार।

एस०टी०एफ०—शेयर ट्रैडिंग के नाम पर बड़े मुनाफे का लालच देकर करीब 70 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले गैंग के 02 सदस्यों को एस०टी०एफ० द्वारा किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 07—09—2024 को एस०टी०एफ० उ०प्र० को शेयर ट्रैडिंग के नाम पर बड़े मुनाफे का लालच देकर करीब 70 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले गैंग के 02 सदस्यों को थाना इन्दिरापुरम, जनपद गाजियाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुयी।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. विनोद कुमार धामा पुत्र रिछपाल निं० ग्राम पावला बेगमाबाद, जनपद बागपत
2. रविन्द्र उर्फ नवाब पुत्र महावीर निवासी उपरोक्त

## बरामदगी:-

1. 06 अदद मोबाईल फोन
2. कम्पनी से सम्बन्धित अकाउंट नम्बर व अकाउंट डिटेल

## गिरफ्तारी का स्थान / दिनांक:-

दिनांक—07.09.2024 स्थान: मोहन मिकन सोसायटी, फ्लेट नं०—1017 सेक्टर—5 वसुंधरा थाना इन्दिरापुरम, जनपद गाजियाबाद समय 22.15 बजे।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से जनता के सीधे—साधे व्यक्तियों को बड़े मुनाफे का लालच देकर शेयर ट्रैडिंग के नाम पर पैसे निवेश कर उनसे धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस०टी०एफ० फील्ड इकाई, मेरठ के पर्यवेक्षण में एस०टी०एफ० फील्ड इकाई, मेरठ द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एस०टी०एफ० मेरठ की टीम उप—निरीक्षक श्री अरुण कुमार निगम के नेतृत्व उ०नि० श्री दुर्वेश डबास, उ०नि० संजय कुमार, है०का० अंकित श्योरान, है०का० संजय सिंह, है०का० दीपक कुमार, आपराधिक अभिसूचना संकलन के सम्बन्ध में जनपद गाजियाबाद के थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र में मामूर थी कि जरिये मुख्खिये सूचना प्राप्त हुई कि विनोद कुमार धामा उपरोक्त अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर जनता के व्यक्तियों से धोखाधड़ी कर ट्रैडिंग शेयर के नाम से मोटी रकम लेकर उन्हें लालच देकर पैसा निवेश कराते हैं और ज्यादा पैसा खाते में हो जाने के बाद कम्पनी बन्द कर देते हैं तथा किसी दूसरे स्थान पर नये नाम से कम्पनी बना लेते हैं। इनके द्वारा पूर्व में भी कल्प वृक्ष ट्रैडिंग मास्टर टैक्नोलोजी प्रा०लि० के नाम से नोएडा के एच—87, सेक्टर—63

में तथा हाट सिक्योरिटी लिंग व आयुर्वेद इण्डिया लिंग के नाम से गाजियाबाद में भी ट्रैडिंग फर्म खोली थी, जिसमें करोड़ों का निवेश होने के बाद कम्पनी बन्द कर यहां पर छिपे हुये हैं। मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ टीम द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए टीम ने मुखबिर के बताये स्थान मोहन मिकन सोसायटी, फ्लेट नं 0-1017 सेक्टर-5 वसुंधरा थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद पर पहुँचकर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उपरोक्तानुसार बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों से की गयी पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आये:-

- विनोद कुमार धामा ने शेयर ट्रैडिंग का काम करने वाली अमेरिकन कम्पनी “एम-वे” में कुछ दिनों काम किया था जहां पर उसने आन लाईन शेयर ट्रैडिंग का काम सीखा।
- वर्ष 2022 में विनोद कुमार धामा ने अपने साथियों के साथ मिलकर नोएडा में एच-87 सेक्टर-63 में आनलाईन ट्रैडिंग के लिए “कल्प वृक्ष ट्रैडिंग मास्टर टैक्नोलोनी प्राइलिंग” एंव “ट्रैडिंग मास्टर” कम्पनी बनाकर रजिस्टर्ड करायी थी, जिसका मालिक विनोद धामा व प्रवीण धामा उर्फ सोनू तथा डायरेक्टर विनोद धामा व रोहित खान थे।
- उक्त कम्पनी के अतिरिक्त विनोद कुमार धामा ने अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रैडिंग के लिए एक ट्रैडिंग बोट मास्टर नितेश, नामक व्यक्ति से 05 लाख रुपये में आनलाईन खरीदी थी, जिसके माध्यम से आनलाईन आटोमेटिकली ट्रैडिंग होती थी, जिसका इन लोगों द्वारा आम जनता में प्रचार-प्रसार करके लोगों को पैसे निवेश करने के लिए लालच दिया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे निवेश करने व प्रतिमाह 10 से 15 प्रतिशत ब्याज देने का प्रलोभन दिया।
- उक्त गैंग द्वारा अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए एक स्कीम निकाली जिसके तहत कुछ लीडर बनाये और उनकी आईडी बनाकर उन्हें टारगेट दिया और अधिक से अधिक धन निवेश करने पर ईनाम भी रखा, जिस कारण बनाये गये लीडरों द्वारा अधिक से अधिक आम जनता के लोगों से उक्त कम्पनी में पैसे निवेश कराये गये।

- निवेशकों को 3 से 4 माह तक कुछ पैसा उनके अकाउण्ट में ट्रांसफर करने के पश्चात यह इन लोगों ने उक्त ट्रैडिंग कम्पनी बन्द कर दी तथा निवेशकों से प्राप्त शेष रूपयों को अपने व अपने साथियों के खाते में ट्रांसफर कर अपने मोबाइल बन्द कर नये पते पर किराये का मकान ले लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना सेक्टर-63 जिला मध्य (कमिशनरेट गौतमबुद्धनगर) पर मु0अ0सं0 401 / 2024 धारा 318(4) / 111(2)(बी) / 111(3) / 111(4) / 316(2) / 61(2)(ए) व 66 आईटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

### गिरफ्तार अभियुक्त विनोद कुमार धामा का आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	264 / 23	420 / 406 / 467 / 468 / 471 / 120बी भादवि	उद्योगनगर	सीकर, राजस्थान
2	587 / 23	420 / 406 / 120बी भादवि	उद्योगनगर	सीकर, राजस्थान
3	286 / 23	406 / 420 भादवि, 5टी एसपीडीएफई एक्ट, 3 / 4 / 5 / 6 प्राईस चीट्स एंड मनी सरकुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट	सेंट्रल काईम स्टेशन	हैदराबाद

-----